न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 101/2019

1. श्री सुरेश चन्द सोनी पुत्र श्री रामविलास सोनी जाति सुनार निवासी पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर ......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन जिला अजमेर ......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 18.08.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–अ रा0 का0 अधिनियम 1955 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसांगन के वर्तमान जमाबदीं सवंत 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 374 पुराना 349 खसरा संख्या 295 , 297, 298 प्रार्थी की खातेदारी की आराजी स्थित है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थी की सिवायचक भूमि खाता संख्या 1 खसरा सख्या 296 स्थित है । प्रार्थी अपनी कृषि आराजी में आने जाने बाबत अप्रार्थी की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की सीमा की ओर से होकर गै.मु. सडक खसरा संख्या 290 जो मांगलियावास से पीसागंन सडक से जुडा है का उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसके अतिरिक्त प्रार्थी को आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी को आवागमन हेतु सिवायचक आराजी खसरा संख्या 296 में से 30 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत करके राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त रास्ते को दर्ज करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीसागंन से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार पीसागंन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के लिये सबसे नजदीक है। राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प0 3 (52) राज– 6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अुनसार अगर कोई खातेदार काश्तकार सरकारी सिवायचक आराजी से रिकार्डेड रास्ता चाहते हैं तो रास्ते की भूमि का प्रचलित डी.एल.सी. से दुगूनी राशि राजकोष में जमा करवाकर रास्ता प्राप्त कर सकता है। तहसील राजस्व लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त हुयी कि उक्त रास्ते के एवज में रास्ते में चाही गयी आराजी के लिये डी.एल.सी. से दोगुनी राशि 76092/– अक्षरे छियत्तर हजार बरानवे रूपये मात्र की राशि राजकोष में जमा कराया जाना उचित है। प्रार्थी ने राशि 76092/– अक्षरे छियत्तर हजार बरानवे रूपये राजकोष में जमा करा कर चालान पेश किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कालेसरा तहसील पीसागंन प्रार्थी के खसरा संख्या 295 के दक्षिणी सीमा से लेकर अप्रार्थी के खसरा सख्या 290 की उत्तरी सीमा तक खसरा संख्या 296 में से 30 फिट चौडा रास्ता वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव नक्शे में रास्ते का अकंन किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:30:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन